सैनिकों को उपदान

736. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सैनिक को सेवा निवृत्ति के समय कोई उपदान नहीं दिया जाता है और केवल पेंशन ही दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक सिविल कर्मचारी को उसके मासिक वेतन के आधार पर सेवा निवृत्त होने पर पेंशन तथा उपदान मिलता है ;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कुछ निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर पेन्शन के लिए योग्य न होने की स्थिति में एक सैनिक को उपदान दिया जाता है। फिर भी यह सच है कि पेन्शन पाने के अधिकारी सैनिक को केवल पेन्शन मिलती है; उसके साथ उसे उपदान नहीं दिया जाता।

(ख) यह भी सच है कि एक असैनिक सरकारी कर्मचारी सेवा-निवृत्त होने पर पेन्शन के साथ उसके वेतन पर आधारित एकमुश्त उपदान भी पाता है।

(ग) 1950 से पहले असैनिक सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन उनकी अर्हता सेवा के प्रत्येक वर्ष की उपलब्धियों के 1/60 के हिसाब से निर्धारित की जाती थी, और उसके अतिरिक्त उन्हें कोई उपदान नहीं दिया जाता था। 1950 में उस दर को घटा कर उपलब्धियों का 1/80 कर दिया गया, और इस पेन्शन के अतिरिक्त असैनिक सरकारी कर्मचारी एकमुश्त उपदान पाने के पात्र बन गए। यह उपदान पेन्शन की घटी हुई रकम के पूंजीगत मूल्य को निर्दिष्ट करती है। सैनिकों की पेन्शन की निर्धारित दरें उनकी उपलब्धियों के 1/60 के पुराने दर के आधार पर हैं (कुछ समंजन के साथ) और इसके फलतः उन्हें पेन्शन के अतिरिक्त कोई उपदान नहीं दिया जा सकता।

(घ) सैनिकों को उपदान का लाभ देने के विचार से उनकी पेन्शन निर्धारित करने के लिए दर में कमी करने से उन्हें अपेक्षाकृत पहले से काफी कम पेन्शन मिलेगी क्योंकि उन्हें 15 वर्ष की अर्हता सेवा करने के बाद पेन्शन मिल जाती है। जबकि असैनिक सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन पाने के लिए 30 वर्ष सेवा करनी होती है। इस प्रकार सैनिकों के लिए यह लाभप्रद न होगा अगर सिविल में लागू वर्तमान तरीके को उन पर लागू किया जाय। तदनुसार इस सम्बंध में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

अग्र क्षेत्रों में सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिये क्वार्टर

737. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सैनिक कर्मचारियों के परिवारों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए, जिन्हें अग्रिम क्षेत्रों में तैनात किया गया है, और उनके बालकों की शिक्षा के लिये व्यवस्था करने के लिये सरकार से कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उनको कोई अन्य सुविधा दिये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार की नीति के अनुसार अग्रिम क्षेत्रों में तैनात अफसरों और अन्य कार्मिकों के परिवारों के लिए, पारिवारिक आवास की व्यवस्था की जाती है। ये सामान्य रूप

से उन्हीं स्थानों में बनाए जाते हैं जहां पर डाक्टरी तथा शिक्षा सम्बन्धी सभी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हों ।

रक्षा सेवा कार्मिकों, जिनमें अग्रिम क्षेत्रों में तैनात कार्मिक भी शामिल हैं, के बच्चों के लिए मिलिट्री स्कूलों, लारेन्स स्कूलों और सैनिक स्कूलों में जगहें सुरक्षित होती हैं । देश भर में 100 से अधिक केन्द्रीय स्कूल हैं जहां रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के बच्चों को दाखिला देने में प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) तथा (ग). 1246 अफसरों, 966 जूनियर कमीशंड अफसरों, 3040 जवानों और 703 गैर लड़ाकू (भर्ती किए गए) सैनिकों के परिवारों के लिए आवास बनाने की योजना मंजूर की गई है । परिवारों के लिए मंजूरशुदा आवास बनने तक, सरकार ने कुछ चुने हुए स्थानों में मकान किराए पर लेने को इजाजत दी है ।

Utilisation of Services of Army in Bihar for Relief Operations

738. Shri George Fernandes:
Shri J. H. Patel:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Joshi:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether the services of the Army have been utilised in relief operations in the famine-stricken areas of Bihar;

(b) the specific jobs on which the Army has worked so far; and

(c) whether any tube-wells have been sunk with the assistance of the Army?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Army has helped to bore 14 wells so far of varying capacity which will provide water for drinking as well as irrigation. Boring of three more wells is in progress.

A medical team consisting of 25 personnel drawn from the three services, including three doctors, is due to begin relief work in Gaya district by the end of May. The Medical Team will also run a free kitchen to provide each day about 500 meals to sick persons.

समाचारपत्रों में विज्ञापन

739. श्री राम चरण: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंग्रेजी तथा अन्य भारती भाषाओं में, अलग-अलग प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की संख्या क्या है : और

(ख) वर्ष 1966/67 के दौरान सरकार ने इन समाचारपत्रों को कुल कितने मूल्य के, अलग-अलग, विज्ञापन दिये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). समाचार-पत्रों जिनमें पत्रिकायें भी शामिल हैं, के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

भाषा	देश में छपने वाले समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या	1966–67 में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों का कुल मूल्य
1	2	3
		रुपये
अंग्रेजी .	2,356	45,32,169
हिन्दी .	2,276	9,38,913
असमिया .	33	49,124
बंगला .	604	4,67,715
गुजराती .	622	2,99,671
कन्नड़ .	654	1,02,007
मलयालम .	300	2,97,938
मराठी .	543	2,94,240